लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायक के पद हेतु अभ्यर्थियों के Counselling के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश एवं काउन्सेलिंग की तिथि संबंधी सूचना :–

ज्ञापांक– 1098 /पंचायत, दिनांक– 12.11.18

संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–5958/पं0रा0, दिनांक–31.10.2018 के आलोक में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजनान्तर्गत गली–नाली पक्कीकरण एवं पेयजल निश्चय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संविदा के आधार पर लेखापाल–सह–आई0 टी0 सहायक के पदों पर नियोजन हेतु दिनांक–**20.11.2018 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से कारगील विजय सभा भवन, बेगूसराय** में Counselling की जायेगी। Counselling हेतु चयनित अभ्यर्थियों को उनके मोबाईल नं0/ई0 मेल के माध्यम से सूचित किया गया है तथा चयनित अभ्यर्थियों की सूची **NIC Begusarai** के बेबसाईट पर प्रदर्शित किया गया है।

अभ्यर्थी उपरोक्त निर्धारित तिथि को ससमय समर्पित ऑनलाईन आवेदन की स्वअभिप्रमाणित प्रति के साथ उपस्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त निम्नांकित कागजातों एवं प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियों तथा स्वअभिप्रमाणित दो–दो छायाप्रति अलग–अलग प्लास्टिक के फोल्डर फाईल के साथ लाना सुनिश्चित करेंगे :–

1. पहचान हेतु आधार कार्ड/निर्वाचन पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेंस या अन्य काई फोटोयुक्त पहचान पत्र।
2. मैट्रिक/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र/अंक पत्र/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण–पत्र जिससे कि जन्म तिथि का सत्यापन किया जा सके।
3. लेखापाल–सह–आई0 टी0 सहायक के अभ्यर्थी आई0 कॉम, बी0 कॉम, एम0 कॉम एवं कम्प्युटर उत्तीर्णता का अंक प्रमाण–पत्र, औपबंधिक या मूल प्रमाण–पत्र।
4. (i) यदि आपने ऑनलाईन आवेदन में आरक्षित कोटि का दावा किया हो तो विज्ञापन के अनुसार सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का प्रमाण–पत्र जो आवेदन करने की तिथि से 01 वर्ष से अधिक पुराना न हो।

   (ii) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र।

   उपरोक्त प्रमाण–पत्र समर्पित नहीं करने की स्थिति में उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा।
5. दिव्यांगता से संबंधित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण–पत्र।
6. ऑनलाईन आवेदन में दिये गये फोटो/हाल में खींचे गये अपने पासपोर्ट आकार के 3 (तीन) रंगीन फोटो लाना अनिवार्य होगा।
7. यदि आपने ऑनलाईन आवेदन में स्वतंत्रता सेनानी के आरक्षित कोटि का दावा किया है तो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र, पुत्री, पोता, पोती, नाती, नातिन होने संबंधित प्रमाण–पत्र या सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत वंशावली।

Scanned by CamScanner

8. यदि यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में फर्जी या जाली प्रमाण–पत्र के आधार पर आवेदन किया गया है तो उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

9. वैसे अभ्यर्थी, जिन्होंने ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया है, परन्तु अपने शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र ऑनलाईन आवेदन के समय अपलोड नहीं किया है अथवा नहीं कर सकें उन्हें निदेश दिया जाता है कि काउन्सेलिंग के समय निश्चित रूप से अपने शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें अन्यथा उनकी आर्हता समाप्त कर दी जायेगी।

काउन्सेलिंग में शामिल होने मात्र से आपकी आर्हता की संपुष्टि नहीं मानी जायेगी। आर्हता पर चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। काउन्सेलिंग में अनुपस्थित रहने की स्थिति में आपके अभ्यर्थित्व पर विचार नहीं किया जायेगा और अनुपस्थित अभ्यर्थियों को बाद में कोई दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा।

12.11.18

सदस्य सचिव

–सह–जिला पंचायत राज पदाधिकारी,

बेगूसराय।

Scanned by CamScanner